

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-990/2012

संस्थित दिनांक-05.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—बुधेलाल पिता धरमू साहू, उम्र—45 वर्ष,
निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—चुरोबाई उर्फ बैसाखिन बाई पति बुधेलाल साहू, उम्र—40 वर्ष,
निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-25/03/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-15.11.2012 को शाम 4:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में लोकस्थान पर फरियादी भोलू को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत भोलू को बांस की लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-15.11.2012 को करीब 4:00 बजे फरियादी भोलू अपने घर से गाय लेकर ढोलियाटोला की तरफ गाय लेकर जा रहा था। उसी समय गांव का बुधेलाल अपनी पत्नी चुरोबाई उर्फ बैसाखिनबाई के साथ पुरानी बात को लेकर बोला कि 'तूने मेरी लड़की की इज्जत खराब किया है' की बात को लेकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए आरोपी चुरोबाई उर्फ बैसाखिनबाई ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा आरोपी बुधेलाल ने बांस की लकड़ी से पैर एवं कान के नीचे सिर पर मारा और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी भोलू द्वारा थाना बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-140/12, धारा-294,

323/34, 506 (भाग-2) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-15.11.2012 को शाम 4:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में लोकस्थान पर फरियादी भोलू को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत भोलू को बांस की लकड़ी एवं हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत भोलू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष दिपवाली के समय 4:00 बजे की है। वह रोड़ से बकरी लगाने जा रहा था, तो आरोपीगण के घर के सामने खड़ा हुआ तो आरोपीगण उसे गालियां दे रहे थे। आरोपी चुरोबाई ने उसे पत्थर से सिर पर मारा और आरोपी बुधेलाल ने पैर पर मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में लिखाया था, उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है। साक्षी को उक्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाए जाने पर उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने वाली बात स्वीकार किया है, किन्तु जान से मारने के संबंध में धमकी दिए जाने की रिपोर्ट लिखाए जाने से इंकार किया है। पुलिस ने उसकी चोटों का परीक्षण कराया था। पुलिस ने मौके पर जाकर उससे पूछताछ की थी।

6- प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से घटना के पूर्व से उसकी रंजिश चली आ रही है और उसी रंजिश को लेकर उनके बीच लड़ाई हुई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का

खंडन नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट कर उपहति कारित किये थे। ऐसी दशा में कथित रंजिश के आधार पर फरियादी के द्वारा झूठी शिकायत किया जाना प्रकट नहीं होता है। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप आरोपीगण के द्वारा उसे उपहति कारित किये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है। यद्यपि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय उसे कथित गाली-गलौज किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये गए हैं तथा जान से मारने की धमकी के संबंध में अपने कथन में इंकार किया गया है। ऐसी दशा में उसे क्षोभ कारित किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किये जाने के संबंध में साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

7— भगवतीबाई (अ.सा.2) एवं कमलीबाई (अ.सा.3), परमिला (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण का यह भी कथन है कि पुलिस ने उनके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उन्होंने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है तथा उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है।

8— डी.के. राउत (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-03.12.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-19.11.12 को एकसरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत भोलू को एकसरे हेतु लाया गया था। उपरोक्त एकसरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत को कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— डॉक्टर हेमा बिसेन (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-16.11.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को आरक्षक सत्येन्द्र शर्मा क्रमांक-1149 के द्वारा आहत भोलू पिता जोगीराम मरावी, उम्र-45 वर्ष निवासी ग्राम चरचेण्डी को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण करने पर आहत को साधारण चोट आने की पुष्टि की है। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दोनों चिकित्सीय साक्षी के कथनों में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत भोलू को साधारण उपहति कारित हुई थी।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी एम.एल. बिसेन (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 16.11.12 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता भोलू की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 140/12, धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.वि. के तहत प्रधान आरक्षक दादूलाल पटले के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर दादूराम पटले के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता हूं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 16.11.12 को भोलू की निशानदेही

पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-6 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं भोलू मरावी का निशानी अंगूठा लिया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी भोलू साक्षी भगवती बाई, कमलीबाई, प्रमिलाबाई, पंचराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 17.11.12 को आरोपी बुधेलाल से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं साक्षीगण एवं आरोपी बुधेलाल के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11- विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में एकमात्र फरियादी/आहत भोलू अ.सा.1 ने ही अभियोजन मामलें का समर्थन किया है, किन्तु उसकी साक्ष्य अखंडित रही है एवं उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण के पक्षविरोधी होने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। मामलें में चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से आहत भोलू के कथन एवं अभियोजन को समर्थन प्राप्त होता है। यद्यपि अभियोजन की ओर से आरोपीगण के द्वारा फरियादी भोलू को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किये जाने एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने से उक्त के संबंध में अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12- आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत भोलू को उपहति कारित करने का आशय निर्मित कर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। इस प्रकार उक्त उपहति के अपराध हेतु दोनों आरोपीगण समान रूप से उत्तरदायी हैं।

13- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी भोलू को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत भोलू को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने फरियादी भोलू को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त शेष अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा-323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14- आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्-

15- आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

16- मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपीगण मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत 1000/-, 1000/- (एक-एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

17- आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18- प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट